[2018] 6 एस. सी. आर 479

रूपिंदर सिंह संधू बनाम

पंजाब और अन्य राज्य

(2007 की आपराधिक अपील No.58)

15 मई, 2018

[जे. चेलामेश्वर और संजय किशन कौल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860–एस. एस.299 और 304 भाग–II आर/डब्ल्यू।धारा 34–पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 के स्वामित्व के तहत दोषसिद्धि एस.' द्वारा संचालित मारुति कार में यात्रा कर रहे थे–आरोपी व्यक्तियों (ए–1 और ए–2) और 'जी. एस.' के बीच रास्ते के अधिकार पर विवाद उत्पन्न हुआ–कथित रूप से, ए–1 ने 'जी. एस.' को वाहन से बाहर निकाला और मुट्ठी में वार किया जिसके बाद, अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई–यू/एस. एस. में एफ. आई. आर. दर्ज की गई।ए 1 और अनाम दूसरे आरोपी के खिलाफ 304/34–निचली अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया–उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को उलट दिया–आयोजितःमृतक की मृत्यु के कारण के बारे में चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से अनिश्चित है–साक्ष्य पर साबित एकमात्र तथ्य यह है कि ए–1 ने मृतक के सिर पर एक भी मुट्ठी मारा–कोई हथियार का उपयोग नहीं किया गया था, न ही आरोपी और मृतक के बीच कोई पिछली दुश्मनी थी–किसी भी संगत मस्तिष्क की चोट का कोई सबूत नहीं है–पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस संबंध में चुप है–पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मस्तिष्क में किसी भी पैथोलॉजी की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्ट है, हालांकि, उन्होंने मृतक के दिल की स्थिति में बड़ी संख्या में असामान्यताओं को देखा–रिकॉर्ड पर सबूत होने के कारण, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि मृतक की मृत्यु सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण हुई थी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कारण नहीं हुई थी, यह रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है और यह है घटना के लगभग 7 साल बाद दर्ज पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य के आधार–जहां तक ए 2 का संबंध है, उच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया गया है–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–एस. एस.173 और 319।

साक्ष्य–संबंधित गवाह–की प्रशंसा।

अभियुक्त की अपीलों को स्वीकार करते हुए और वादी की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1. 1 उच्च न्यायालय के पूरे फैसले में केवल दो वाक्य हैं जिनमें दूसरे अभियुक्त के नाम का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के फैसले में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि अनुसंधान के दौरान किस समय ए–2 की पहचान दुर्भाग्यपूर्ण दिन ए–1 के साथ यात्रा करने वाले दूसरे स्वच्छ मुंडन वाले व्यक्ति के रूप में की गई थी

और किस सबूत के आधार पर अभियोजन पक्ष मुकदमे के समय पी. डब्ल्यू–3 और पी. डब्ल्यू–4 के बयानों (घटना के 7 साल बाद दिए गए) को छोड़कर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा था।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के तुच्छ विश्लेषण के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को उलटना और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के तहत ए–2 को अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित समझा।

एफ. आई. आर. में केवल ए1 के नाम का उल्लेख किया गया था और घटना में दूसरे प्रतिभागी को "क्लीन शेव्ड मैन" कहा गया था।एफ़. आई. आर. में यह उल्लेख नहीं है कि साफ मुंडन कराने वाले व्यक्ति ने मृतक के शरीर पर या तो हमला किया या कोई चोट पहुंचाई।इसमें केवल यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने पीडब्लू 3 पर मुट्ठी से प्रहार किया था।अभिलेख पर मौजूद सामग्री इस तथ्य के बारे में जानकारी से पूरी तरह से रहित है कि किस समय ए–2 की पहचान उस 'क्लीन शेव्ड मैन' के रूप में की गई थी जिसने जांच एजेंसी द्वारा ए–1 के साथ घटना में भाग लिया था।न ही अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री है जो उस आधार का संकेत देती है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ए–2 वह स्वच्छ मुंडन वाला व्यक्ति था।मृतक के शव पर शव का पंचनामा के समय पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 की जांच की गई थी, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना की तारीख को दोपहर 3:30 बजे हुई थी।यहां तक कि पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के उन बयानों में भी ए–2 के नाम या पहचान योग्य विवरण का उल्लेख नहीं है।मान लीजिए, साफ मुंडन वाले व्यक्ति की पहचान ए–2 के रूप में स्थापित करने के लिए किसी भी समय एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।

1. 3 उपरोक्त सामग्री के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैंः

(**i**) न तो पीडब्लू 3 और न ही पीडब्लू 4 अपराध की तारीख से पहले दूसरे आरोपी को जानते थे;

(**ii**) अपराध की तारीख को भी उन्हें उसका नाम या अन्य विवरण नहीं पता था जिससे उसकी पहचान हो सकती थी।

(**iii**) अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि पहले आरोपी के साथ जाने वाला व्यक्ति (ए–2) है।

(**iv**) ए–2 को अपराध से जोड़ने का एकमात्र सबूत मुकदमे के समय (घटना के लगभग 7 साल बाद) पीडब्लू 3 और 4 के बयान हैं कि ए–1 दुर्भाग्यपूर्ण दिन ए–1 के साथ दूसरा व्यक्ति था।

(**v**) पीडब्लू3 या पीडब्लू4 के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए 2 ने कभी मृतक पर हमला किया हो; और

(**vi**) यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है कि ए–2 ने मृतक पर हमला किया।

उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में ए–2 की पहचान या घटना में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में कोई चर्चा नहीं है।घटना के समय ए–1 के साथ ए–2 की उपस्थिति या घटना में ए–2 द्वारा निभाई गई भूमिका को साबित करने के लिए सबूत के बारे में किसी भी तरह की चर्चा के बिना, जहां तक यह मृतक की

मृत्यु से संबंधित है, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग–2 के तहत ए–2 के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने का फैसला किया।

1. 4 उच्च न्यायालय ने अचानक एक निष्कर्ष दर्ज किया कि ए–2 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग–2 के अपराध का दोषी है। इस तरह का निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर है।उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ए–2 भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी है, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए समान रूप से अस्थिर है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि अपराध के समय ए–1 के साथ उसकी उपस्थिति के बारे में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य के आधार पर ए–2 को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।इसलिए, जहाँ तक ए 2 का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

ए–1 को मृतक की मृत्यु का कारण बनाने का दोषी ठहराने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि (**i**) उसने अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार मृतक पर मुट्ठी से वार किया; और (**ii**) मुट्ठी से प्रहार के परिणामस्वरूप लगी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हुई।

2. 2 इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कि ए–1 ने मृतक पर मुट्ठी से वार किया, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने दावा किया कि वे घटना के समय मृतक के साथ मृतक द्वारा चलाई गई कार में यात्रा कर रहे थे और इसलिए, घटना के गवाह थे।सत्र न्यायालय ने पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को मुख्य रूप से दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया, पहला कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य सुसंगत नहीं थे और समय–समय पर अलग–अलग रखे गए थे और दूसरा, चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू 3 और 4 की गवाही की पुष्टि नहीं करता है।दूसरी ओर, उच्च न्यायालय पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में सत्र न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत था।

2. 3 यह तथ्य कि पीडब्लू 3 और 4 मृतक से संबंधित हैं, विवाद में नहीं है।इस तरह के संबंध का अस्तित्व अपने आप में पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।उच्चतम न्यायालय ने बार–बार ऐसा अभिनिर्धारित किया है और यह भी अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित गवाहों द्वारा वास्तविक दोषियों को दोषमुक्त करने वाले निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की संभावना कम है।

2. 4 पीडब्लू 3 और 4 ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने मृतक के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक द्वारा चलाई गई मारुति कार में यात्रा की।उन दोनों ने कहा कि ए–1 और मृतक के बीच रास्ते के अधिकार को लेकर बहस हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पहले आरोपी ने मृतक को मुट्ठी से मारा था। उन्होंने अपने साक्ष्य में कोई आरोप नहीं लगाया कि ए–2 ने मृतक पर हमला किया।उनका कहना है कि जब उन्होंने मृतक को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो दूसरे आरोपी ने पी. डब्ल्यू.–3 पर मुट्ठी से वार करके हमला कर दिया।हालाँकि, यह पीडब्लू 3 और 4 का प्रमाण है कि ए–1 ने मृतक पर मुट्ठी से वार किए, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से केवल दो बाहरी चोटों का संकेत मिलता है–एक अस्थायी क्षेत्र पर और दूसरी मृतक के बाएं घुटने पर–दोनों घर्षण हैं।पीडब्लू–2 के अनुसार दूसरी चोट, यानी घुटने पर घर्षण, गिरने का

परिणाम हो सकती है।पीडब्लू 3 और 4 के वर्णन के बावजूद कि ए–1 ने ए को प्रभावित किया मुट्ठी से प्रहार (कई प्रहार), यह सबसे अधिक संभावना नहीं है कि एक व्यक्ति एक साथ मुट्ठी से प्रहार करते हुए पीड़ित के सिर और घुटनों पर भी निशाना लगाएगा।बेशक, यह संभव है कि ए–1 ने एक से अधिक मुट्ठी प्रहार किए लेकिन उनमें से केवल एक मृतक के सिर पर गिरा और अन्य लक्ष्य से चूक गए।इस प्रकार, ए–1 ने मृतक के सिर पर एक चोट पहुंचाई और कोई भी सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मृतक के घुटने पर दूसरी चोट किसी भी सड़क पर गिरने के कारण हुई थी।अभियोजन पक्ष का यह सुझाव नहीं है कि मृतक की मृत्यु घुटने पर चोट लगने से हुई है।मृतक के सिर पर चोट पिन्ना के ऊपरी भाग के संगम पर बाएं लौकिक क्षेत्र के ऊपर 0.75 सेमी **x** 0.5 सेमी मापने वाला एक घर्षण है।मृतक के बाएं अस्थायी क्षेत्र में एक संबंधित सबड्यूरल रक्तस्राव मौजूद है।

2. 5 पीडब्लू–2 (डॉक्टर) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत के कारण के बारे में कोई राय नहीं दी।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू2 की राय थी कि चोटें पूर्व–शव परीक्षण प्रकृति की थीं और एक कुंद हथियार के कारण हुई थीं।पैथोलॉजिस्ट ने एक रिपोर्ट दी जिसमें मृतक के दिल की स्थिति में बड़ी संख्या में असामान्यताएं देखी गईं।जहाँ तक मस्तिष्क का संबंध है, रोगविज्ञानी ने सकल या सूक्ष्म परीक्षा में किसी भी रोगविज्ञान पर ध्यान नहीं दिया।पैथोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पीडब्लू–2 ने राय दी कि फोरेंसिक विशेषज्ञ की आगे की राय प्राप्त करना आवश्यक है।इसलिए उन्होंने सिविल सर्जन, पटियाला को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मामले को फोरेंसिक विशेषज्ञ, सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला को भेजा जाए।सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला के प्राचार्य ने 6 सदस्यों वाले एक बोर्ड का गठन किया, जिनमें से दो की मामले की सुनवाई में पीडब्लू 1 और 2 के रूप में जांच की गई।पीडब्लू–1 को उक्त चिकित्सा बोर्ड के संयोजक के रूप में नामित किया गया था।पीडब्लू–1 ने एक बहुत ही गुप्त राय (**Ex.PA**) दी।

2. 2 पी. डब्ल्यू. 2, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, ने मृतक की मृत्यु के कारण की पहचान नहीं की।उन्होंने केवल मेडिकल बोर्ड की राय पुलिस को भेजी।उपरोक्त साक्ष्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सबड्यूरल रक्तस्राव है जो मृतक की मृत्यु का कारण बना, न कि कार्डियक अरेस्ट।जैसा कि अभियुक्त द्वारा सही बताया गया है, इस तरह के निष्कर्ष के लिए अभिलेख पर साक्ष्य में कोई आधार नहीं है।

जब एग्ज़िबिट पी. ए. कहता है कि मामले में मृत्यु "सिर की चोट और हृदय की स्थिति के प्रभावों के कारण होती है", तो यह निष्कर्ष निकालना कि मृत्यु का कारण केवल रक्तस्राव है और हृदय गति रुकना नहीं, रिकॉर्ड पर दिए गए साक्ष्य के विपरीत है।दूसरी ओर यह याद रखना चाहिए कि रोगविज्ञानी ने बताया कि उन्होंने "सकल या सूक्ष्म परीक्षा" पर मस्तिष्क पर कोई विकृति नहीं देखी।पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले पीडब्लू–2 ने रक्तस्राव का कोई विवरण नहीं दिया, सिवाय इसके कि पार्श्विक क्षेत्र में सबड्यूरल रक्तस्राव मौजूद था।उन्होंने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उन्होंने रक्तस्राव के परिमाण या आकार का उल्लेख नहीं किया था।

पी. डब्ल्यू.–1 फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पर एक पाठ्यपुस्तक के लेखक भी हैं।पुस्तक के कथन से, उपरोक्त कथन से यह देखा जा सकता है–(**i**) सबड्यूरल रक्तस्राव अपने आप में मृत्यु का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह एक बड़े सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण मस्तिष्क का संपीड़न है जो मृत्यु का कारण बनता है; और (**ii**) लगभग 100–150 मिली रक्तस्राव आमतौर पर मृत्यु से जुड़ा न्यूनतम होता है।(एक्स. पी. ए.) में दिए गए बयान और पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य कि सिर की चोट ही प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है, केवल एक दृष्टांत है।सबड्यूरल रक्तस्राव की मात्रा के बारे में न तो कोई विशिष्ट विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, न ही कोई चिकित्सा राय है कि सबड्यूरल रक्तस्राव मस्तिष्क के संपीड़न का कारण बना जो मृतक की मृत्यु का कारण बना।किसी भी सहवर्ती मस्तिष्क चोट का कोई प्रमाण नहीं है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू2 के साक्ष्य इस संबंध में चुप हैं।पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मस्तिष्क में किसी भी पैथोलॉजी की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्ट है।अभिलेख पर ऐसा साक्ष्य होने के कारण, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण हुई है, लेकिन हृदय गति रुकने से नहीं, अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और यह एक शुद्ध अनुमान है।पहले अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखना मुश्किल है और यह तय है।क्योंकि किसी व्यक्ति को गैर–इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के लिए, मूल तथ्य यह साबित करने की आवश्यकता है कि आरोपी मौत का कारण बना।लेकिन, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में चिकित्सा साक्ष्य बिल्कुल अनिश्चित है।

2. 8 साक्ष्य पर साबित एकमात्र तथ्य यह है कि ए–1 ने मृतक के सिर पर एक मुट्ठी से प्रहार किया।न तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था, न ही आरोपी और मृतक के बीच पिछली कोई दुश्मनी थी।यह सब रास्ते के अधिकार के बारे में एक विवाद के साथ शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच झगड़ा हुआ, जो इस देश में एक बहुत ही आम दृश्य है।जाहिरा तौर पर, आरोपी और मृतक के बीच कुछ जुबानी जंग हुई थी। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा बोले गए शब्द वास्तव में क्या हैं, सिवाय एक अस्पष्ट संकेत के कि उन दोनों द्वारा कुछ असंयमित भाषा का उपयोग किया गया था, और न ही यह स्पष्ट है कि आदान–प्रदान की शुरुआत किसने की थी।

2. 1 प्रथम अभियुक्त को मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।इसलिए, अपील के तहत दिए गए फैसले को दरकिनार करने की आवश्यकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एकमात्र संभावित निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि पहले अभियुक्त ने स्वेच्छा से भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 के तहत दंडनीय मृतक को चोट पहुँचाई।

2. 10 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा निर्धारित करती है जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है या जुर्माने के साथ जो **Rs**.1000 तक बढ़ सकती है–या दोनों के साथ। मामले की परिस्थितियों में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि (**i**) घटना 30 वर्ष पुरानी है; (**ii**) अभियुक्त और मृतक के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं है; (**iii**) अभियुक्त द्वारा किसी हथियार का उपयोग नहीं किया गया था; और (**iv**) जिस पृष्ठभूमि में यह हुआ, उस पर **Rs**.1000 के जुर्माने की सजा इस मामले में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

मोहन सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य

ए. आई. आर 1963 एस. सी. 174:[1962] पूरक।एस. सी. आर. 848; रिजान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 661:[2003] 1 एससीआर

457; दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर 1953 एस. सी.

364:[1954] एस. सी. आर. 145–संदर्भित।

फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की पाठ्यपुस्तक –

सिद्धांत और अभ्यास, छठा संस्करण, कृष्ण विज,

एल्सेवियर; स्मिथ जे. सी. और होगन ब्रायन, द एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम इन क्रिमिनल लॉ 5 वां संस्करण, ईएलबीएस 1983 –

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1962] पूरक।एस. सी. आर. 848 पैरा 21 [2003] 1 एस. सी. आर. 457 पैरा 38 [1954] एस. सी. आर. 145 को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2007 की आपराधिक अपील सं. 58।

2000 की आपराधिक अपील संख्या 645–डी. बी. ए. और सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.12.2006 और 06.12.2006 के निर्णय और आदेशों से। विविध। 2000 का सं. 185–एमए

के साथ

2007 की आपराधिक अपील सं. 60 और 59।

आर. बसंत, आर. एस. चीमा, रजनीत कुमार, सिद्धार्थ लूथरा, निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री तरन्नुम चीमा, ए. कार्तिक, सुदर्शन सिंह रावत, सुश्री हीराल गुप्ता, सुश्री स्मृति सुरेश, सुश्री पूजा तिवारी, सुदर्शन सिंह रावत, सुधीर वालिया, सुश्री निहारिका अलहुवालिया, नितिन सलूजा, अभिषेक अत्रे, कुमार वैभव, सुश्री अनंतिका सिंह, सुधीर वालिया, संग्राम एस. सरोन, बेनत नूर सिंह, सुश्री जसप्रित गोगिया, व्रीति गुजराल, पुनीत वार्ष्णेय, सुश्री रूपम राय, शुभम भल्ला, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

चेलामेश्वर, जे. 1.श्री जसविंदर सिंह (पीडब्लू3) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पंजाब राज्य के पटियाला जिले के पुलिस स्टेशन "कोटवाली" के सब–इंस्पेक्टर काका सिंह (पीडब्लू5) द्वारा लगभग 1.45 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (आईडी2) दर्ज की गई।एफ़. आई. आर. में दिए गए वर्णन से, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस घटना की परिणति अंततः वर्णम सिंह की मृत्यु में हुई, वह सड़क पर हुए रोष की एक और घटना के रूप में हो सकती थी, लेकिन वर्णम सिंह की मृत्यु के लिए।एफ. आई. आर. के अनुसार, पटियाला शहर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने बट्टियां वाला चौक की ट्रैफिक लाइट पर दोपहर लगभग 1 बजे एक घटना हुई। जसविंदर सिंह (पीडब्लू3), अवतार सिंह (पीडब्लू4) और मृतक वर्णम सिंह मृतक द्वारा चलाई जा रही मारुति कार आई 8422 में यात्रा कर रहे थे।यहां दोनों आरोपी वाहन No.PAD 6030 से यात्रा कर रहे थे। आरोपी और मृतक के बीच रास्ते के अधिकार को लेकर विवाद पैदा हो गया।इस प्रक्रिया में पहला आरोपी जो ए है

कुछ प्रसिद्ध क्रिकेटर अपने वाहन से बाहर निकला, मृतक को अपने वाहन से बाहर निकाला और मुट्ठी में वार किया।जब पीडब्लू 3 ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो दूसरा 1 आरोपी वाहन से बाहर निकला और पीडब्लू 3 को मुट्ठी से मारा।इसके बाद, उन्होंने मृतक की कार की चाबियाँ हटा दीं और घटना स्थल से भाग गए।पीडब्लू3 और पीडब्लू4, एक रिक्शा द्वारा "बेहोशी की स्थिति में" वर्णम सिंह को एक अस्पताल ले गए, जिसे राजेंद्र अस्पताल के नाम से जाना जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने घोषणा की कि वर्णम सिंह की मृत्यु हो गई है।

2. इसके बाद, पीडब्लू3 पुलिस स्टेशन गया (पीडब्लू4 को अस्पताल में छोड़कर) और प्राथमिकी दर्ज कराई।

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धाराओं के तहत पहले आरोपी और अनाम दूसरे आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

4. लगभग 3 बजे पी. डब्ल्यू. 5 पी. डब्ल्यू. 3 के साथ राजेंद्र अस्पताल पहुँचा।पीडब्लू5 ने शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की, जिसे पीडब्लू3 और पीडब्लू4 द्वारा सत्यापित किया गया था। सतनाम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।लगभग 3:30 बजे, पीडब्लू 3 से पीडब्लू 5 घटना स्थल पर गए जहाँ पीडब्लू 5 ने रफ साइट प्लान तैयार किया।पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा शाम 4:30 बजे शव का पोस्टमार्टम किया गया। एफ. आई. आर. की एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को शाम करीब साढ़े पांच बजे प्राप्त हुई।

5. पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले पीडब्लू2 डॉ. जतिंदर कुमार सदाना ने दो बाहरी और एक आंतरिक चोटों को दर्ज किया:1) पिन्ना के ऊपरी भाग के आदेश पर बाएं अस्थायी क्षेत्र पर मौजूद 0.75 सेमी x 0.5 सेमी घर्षण।

2) बाएं घुटने के सामने 0.5 सेमी x 0.5 सेमी घर्षण, और बाएं अस्थायी क्षेत्र पर मौजूद सबड्यूरल रक्तस्राव। पीडब्लू2 ने दर्ज किया कि चोटें पूर्व–परीक्षण प्रकृति की हैं और 'कुंद हथियार' के कारण होती हैं।उन्होंने कहा कि रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट मिलने के बाद ही वर्णम सिंह की मौत का कारण बताया जा सकता है।पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा रोगविज्ञानी की रिपोर्ट दिनांकित 09.01.1989 नियत समय पर प्राप्त की गई थी।पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बावजूद, पीडब्लू2, वर्णम सिंह की मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दे सका।वह,

1 यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यद्यपि एफ. आई. आर. में पहले अभियुक्त के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, लेकिन दूसरे अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था।उन्हें केवल एक स्वच्छ मुंडन वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था।

इसलिए, सिविल सर्जन, पटियाला को 11.1.1989 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे मामले को सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला के फोरेंसिक विशेषज्ञ को भेजें।उक्त अनुरोध के जवाब में, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें छह सदस्य शामिल थे, जिसमें पीडब्लू1 डॉ. कृष्ण विज और पीडब्लू2 शामिल थे, जिसका गठन प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला के एक कार्यालय आदेश द्वारा किया गया था।इसमें पीडब्लू1 को बोर्ड का संयोजक बताया गया था।

6. इसके बाद एस. एच. ओ. पुलिस स्टेशन "कोटवाली" और पी. डब्ल्यू. 2 के बीच कुछ पत्राचार हुआ।एस. एच. ओ. ने वर्णम सिंह की मृत्यु के कारण के बारे में अधिक सटीक चिकित्सा राय प्राप्त करने का प्रयास किया। पीडब्लू2 ने यह कहते हुए आगे कोई राय देने से इनकार कर दिया कि "इस राय के संबंध में कि क्या चोट मुट्ठी के प्रहार के कारण हो सकती है, इस तरह का कोई भी स्पष्टीकरण अदालत में दिया जाएगा।"

7. उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, दंड प्रक्रिया भारतीय दण्ड संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद "दंड प्रक्रिया भारतीय दण्ड संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट (आरोप

पत्र) दिनांक आई. डी. 1 पर (यानी इसे तैयार करने के 4 महीने बाद) आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दायर की गई, केवल पहले आरोपी को दोषमुक्त करने वाले दूसरे आरोपी के खिलाफ।13 अक्टूबर 1989 को, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला द्वारा मामला सत्र अदालत, पटियाला को सौंप दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सत्र मामला दर्ज किया गया।ए 2 के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग–1 के तहत आरोप 25.09.1990 पर सत्र मामले No.79 में बनाया गया था।मुकदमे के दौरान, सत्र अदालत ने पीडब्लू3 के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद अपने दिनांकित 30.08.1993 के आदेश के अनुसार पहले आरोपी को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाना उचित समझा। 8.इस बीच, 22.07.1989 पर, पीडब्लू3 ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/324/323 के तहत अपराध करने के लिए एक निजी शिकायत दर्ज की। उक्त मामले में ए1 को 03.09.1993 दिनांकित आदेश द्वारा तलब किया गया था।बार–बार स्थगन के बाद, [जिनके कारण वर्तमान में आवश्यक नहीं हैं], दोनों मामलों को 20.08.1994 दिनांकित आदेश द्वारा समेकित किया गया था।

9. 20.08.1994 पर, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।एफ. आई. आर. No.244 से उत्पन्न मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग–1 के तहत आरोप तय किए गए थे।प्रथम अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा302 के तहत आरोप और दूसरे अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/34 के तहत आरोप लगाए गए थे। भारतीय दण्ड संहिता सी. ए. की धारा 323/34 के तहत आरोप

पी. डब्ल्यू. 3 को चोट पहुँचाने के लिए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।दोनों मामलों को 20.08.1994 के आदेश के माध्यम से समेकित किया गया था।

10. अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पाँच गवाहों से पूछताछ की और विभिन्न दस्तावेजों का प्रदर्शन किया।2 पीडब्लू3 और पीडब्लू4 अपराध के चश्मदीद गवाह बताए जाते हैं। पीडब्लू1 और पीडब्लू2 डॉक्टर हैं जो वर्णम सिंह के शव के पोस्टमार्टम से जुड़े हैं।पीडब्लू5 उप–निरीक्षक है जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी। 11.अभियुक्तों ने अपने बचाव में एक गवाह यानी डी. डब्ल्यू. 1 रघबीर सिंह से पूछताछ की।

12. ट्रायल कोर्ट ने 3 दर्ज किएः

कि, वर्णम सिंह की मृत्यु सबड्यूरल हेमरेज के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु का मामला था।

कि, वर्णम सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गए और बाएं लौकिक क्षेत्र में चोट लग गई, जिससे सबड्यूरल रक्तस्राव हुआ।

कि, यह निश्चित नहीं है कि वर्णम सिंह की मृत्यु किस बिंदु पर हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हिंसा के कारण नहीं हुई थी;

न तो जसविंदर सिंह (पीडब्लू 3) और न ही अवतार सिंह (पीडब्लू 4) सच्चे गवाह हैं क्योंकि वर्णम सिंह के साथ उनकी उपस्थिति की कोई पुष्टि नहीं होती है।

और इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में विफल रहा है और इसमें दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

2 शव का पंचनामा रिपोर्ट Ex.PH के रूप में, साइट प्लान Ex.PT के रूप में; कुछ वस्तुओं का रिकवरी मेमो Ex.PU के रूप में; पैथोलॉजिस्ट के परिणाम को Ex.PV के रूप में एकत्र करने के लिए आवेदन; एफ़. आई. आर. Ex.PQ; पी. डब्ल्यू. 3 जसविंदर सिंह का बयान Ex.DC के रूप में; पी. डब्ल्यू. 4 अवतार सिंह का बयान Ex.DG, Ex.DD, Ex.DE के रूप में; धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत रिपोर्ट Ex.DH के रूप में।

3 सी. एस. No.79/18.8.94/20.8.94 दिनांक 22.9.1999 पैरा 41 में सत्र न्यायाधीश, पटियाला का निर्णय देखें।

"इसलिए चिकित्सीय साक्ष्य चश्मदीद गवाह के खाते में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है।इसके अलावा, वर्णम सिंह की मृत्यु सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा पुष्टि की गई अचानक कार्डियक मृत्यु का मामला था।जब वर्णम सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ा तो वह जमीन पर गिर गए और बाएं अस्थायी क्षेत्र और बाएं घुटने पर खरोंच हो गई, पूर्व चोट ने सबड्यूरल रक्तस्राव को जन्म दिया। यह निश्चित नहीं है कि वर्णम सिंह की मृत्यु किस समय हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हिंसा के कारण नहीं हुई थी।न तो जसविंदर सिंह और न ही अवतार सिंह सच्चे गवाह हैं क्योंकि वर्णम सिंह के साथ उनकी उपस्थिति की कोई पुष्टि नहीं होती है।"

13. यह मामला राज्य और वादी द्वारा उच्च न्यायालय में दो अपीलों में उठाया गया था।उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया और दोनों अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ क्रमशः धारा 304 भाग–2 और 304 भाग–2 के तहत दोषी पाया।उपरोक्त के अलावा, ए–2 को अभि.सा. 3 को चोट पहुँचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए भी दोषी पाया गया। 14.इसलिए, ये तीन अपीलें–रूपिंदर सिंह संधू (ए–2) द्वारा दायर 2007 की आपराधिक अपील

(आईडी3); नवजोत सिंह सिद्धू (ए–1) द्वारा दायर 2007 की आपराधिक अपील (आईडी1); और श्री जसविंदर सिंह (पीडब्लू3) द्वारा दायर 2007 की आपराधिक अपील (आईडी2)।

15. श्री आर. एस. चीमा और श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता क्रमशः ए–1 और ए–2 के लिए उपस्थित हुए।श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, वास्तविक वादी (पीडब्लू 3 जसविंदर सिंह) की ओर से पेश हुए।पीडब्लू 3 जसविंदर सिंह द्वारा दायर अपील में ए–1 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता पेश हुए।श्री संग्राम एस. सारोन, अधिवक्ता राज्य की ओर से पेश हुए।

16. ऊपर वर्णित प्रत्येक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष भारी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं।

17. अभियुक्त के लिए तीन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तों द्वारा की गई प्रस्तुतियों में से कुछ आम हैं।संक्षेप में वे इस प्रकार हैं:–

i. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों।

ii.मामले में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं जो निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देती हों;

एफ.

iii.केवल इसलिए कि अभिलेख पर सामग्री पर दूसरा दृष्टिकोण लिया जाना संभव है, अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटने में उचित नहीं है और इस मामले में ठीक यही हुआ है; और

iv.विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पीडब्लू3 और पीडब्लू4 सच्चे गवाह नहीं हैं, ठोस तर्क पर आधारित है।उच्च न्यायालय ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अवैध है;

18. दोनों अभियुक्तों की ओर से साझा की गई उपर्युक्त दलीलों के अलावा यह ए–1 की ओर से प्रस्तुत किया गया थाः–i) अभिलेख पर चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के साक्ष्य की पुष्टि नहीं करता है, एक ऐसा कारक जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पीडब्लू3 और पीडब्लू4 पर अविश्वास करने के लिए दृढ़ता से भरोसा किया गया है।उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की राय को उलटने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया; और

(ii) अभिलेख पर चिकित्सकीय राय स्पष्ट रूप से वर्णम सिंह की मृत्यु का सही कारण स्थापित नहीं करती है। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के आवश्यक तत्वों में से

एक, मृत्यु के कारण के बारे में स्पष्ट चिकित्सा राय के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ए–1 के कारण कथित रूप से हुई शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप वर्णम सिंह की मृत्यु हुई।

19. दूसरे अभियुक्त की ओर से, यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित करने की आवश्यकता है (i) कि ए–2 ए–1 के साथ मौजूद था और घटना में भाग लिया था, और (ii) उसकी भागीदारी की सटीक प्रकृति, और (iii) उसने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत अपराध करने के लिए ए–1 के साथ एक समान इरादा साझा किया।

उपरोक्त को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।उच्च न्यायालय ने न तो उपर्युक्त प्रश्नों में से किसी एक की जांच की और न ही निचली अदालत के निष्कर्ष को उलटने का कोई कारण बताया, जहां तक यह ए–2 से संबंधित है।

20. "इससे पहले कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके, अभियोजन पक्ष के लिए आमतौर पर यह साबित करना आवश्यक है कि एक निश्चित घटना या एक निश्चित स्थिति जो आपराधिक कानून द्वारा निषिद्ध है, उसके आचरण के कारण हुई है और यह कि यह आचरण एक निर्धारित मानसिक स्थिति के साथ था।घटना या स्थिति को आमतौर पर एक्टस रियूस और मन की स्थिति, अपराध का पुरुष रियाज कहा जाता है।अभिंयोजन पक्ष द्वारा इन दोनो तत्वों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।"4.

21. दोनों अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत निर्धारित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जबकि ए–1 को अपराध का दोषी पाया गया है।

4 स्मिथ जे. सी. और होगन ब्रायन, द एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम इन क्रिमिनल लॉ (5 वां संस्करण। ईएलबीएस 1983) पी।29.

संक्षेप में, ए–2 को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से उस अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया था। आरोप यह है कि वे आवश्यक पुरुष कारण के साथ अपने आचरण से वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण बने और ऐसा आचरण भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत निर्धारित अपराध है।

22. सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि अभियुक्त को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए सभी आवश्यक तत्व, जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था, उचित संदेह से परे साबित हुए हैं?भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत किसी भी आरोपी को अपराध के लिए या तो सरल या परोक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए, यह साबित करने की आवश्यकता है कि दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक मौजूद था और घटना में भाग लिया और चोटों का कारण बना जिसके परिणामस्वरूप वर्णम सिंह की मृत्यु हो गई।

23. निर्विवाद तथ्य यह है कि गुरुनाम सिंह को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 12.45 बजे राजेंद्र अस्पताल में मृत लाया गया था।अभियोजन पक्ष (एफ. आई. आर.) के अनुसार, वर्णम सिंह को दोपहर लगभग ए–1 से मुट्ठी में वार किया गया और वह बेहोश हो गया।ए–2 द्वारा सतनाम सिंह पर किए गए किसी भी शारीरिक हमले के बारे में एफ़. आई. आर. स्पष्ट रूप से मौन है।

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के तहत अपराध के लिए दोनों अभियुक्तों में से किसी एक को दोषी ठहराने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि वर्णम सिंह की मृत्यु शारीरिक हमले और उसके परिणामस्वरूप हुई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।हम तत्काल के लिए वर्णम सिंह की मृत्यु के कारण के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य की जांच को स्थगित कर देंगे और इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि मृत्यु उनके द्वारा प्राप्त चोटों के परिणामस्वरूप हत्या थी।सवाल यह है कि चोट किसकी लगी?

24. अभियोजन पक्ष ने अपराध के चश्मदीद गवाहों के रूप में उद्धृत पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य द्वारा अपराध में दोनों अभियुक्तों की उपस्थिति, पहचान और भागीदारी को साबित करने की मांग की।उन्होंने अपने साक्ष्य में दावा किया कि वे मृतक के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यात्रा कर रहे थे और घटना के गवाह थे।हालाँकि, निचली अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि उनमें से कोई भी "सच्चा गवाह" नहीं है क्योंकि "वर्णम सिंह के साथ उनकी उपस्थिति की कोई पुष्टि नहीं होती है"।विचारण न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित कारकों पर आधारित हैः

जी.

5 देखें ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 174 पैरा 13–मोहन सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए.

i. दोनों गवाह (पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4) एक–दूसरे से संबंधित हैं और मृतक;

ii.हालाँकि यह घटना पटियाला शहर में एक बहुत ही व्यस्त स्थान पर दिन के उजाले में हुई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।

3. पुलिस ने न तो उस वाहन को जब्त किया जिसमें मृतक और पीडब्लू 3 और 4 घटना के समय यात्रा कर रहे थे और न ही पुलिस द्वारा तैयार घटना स्थल की साइट योजना कार की उपस्थिति का संकेत देती है।

iv.पीडब्लू 3 और 4 दोनों के साक्ष्य में उस वाहन की संख्या के बारे में विसंगतियां थीं जिसमें आरोपी घटना के समय यात्रा कर रहे थे और इस तथ्य के बारे में भी कि अभियुक्तों में से कौन उक्त वाहन चला रहा था।सबूत में उनके द्वारा दिया गया नंबर और ड्राइवर का नाम एफ़. आई. आर. में दिए गए नंबर और ड्राइवर के नाम के समान नहीं है।

v. अभियोजन पक्ष का यह कथन कि पीडब्लू3 घायल गवाह था, विश्वसनीय नहीं है।यह केवल इस बात का सबूत बनाने का प्रयास है कि पीडब्लू3 भी आरोपी द्वारा मौजूद था और उस पर हमला किया गया था; और

vi.हालाँकि गवाहों ने गवाही दी कि वे उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक वर्णम सिंह के साथ थे और कुछ नकदी निकालने के लिए बैंक जा रहे थे, लेकिन गवाहों के बयान को साबित करने के लिए कोई पुष्टि करने वाली सामग्री, जैसे कि चेक बुक आदि रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।25. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया–(i) पीडब्लू3 और पीडब्लू4 दोनों ने घटना के संबंध में लगातार गवाही दी, (ii) अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने के लिए अभियुक्त के साथ उनकी कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी, यहां तक कि जिरह में पीडब्लू3 और 4 को ऐसे किसी उद्देश्य के अस्तित्व का सुझाव भी नहीं दिया गया था; और (iii) वाहन की संख्या के संबंध में विसंगतियां जिनसे अभियुक्त यात्रा कर रहे थे और कौन सा अभियुक्त वाहन चला रहा था, वे महत्वहीन हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि वे भरोसेमंद गवाह हैं।

26. अभियुक्त की ओर से हमारे सामने यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वर्णम सिंह को घटनास्थल से ले जाया गया था।

पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा रिक्शा में अस्पताल में घटना।न तो रिक्शा चालक की जांच की गई और न ही अस्पताल का कोई रिकॉर्ड यह साबित करता है कि पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4, वर्णम सिंह के साथ राजेंद्र अस्पताल गए थे।पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य की सच्चाई का आकलन करने में निचली अदालत द्वारा देखी गई विभिन्न अन्य विसंगतियों के साथ उक्त तथ्य, ऐसे साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना अत्यधिक असुरक्षित बनाते हैं।

27. अभिलेख पर मौजूद सामग्री और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक के मामले पर अलग–अलग विचार किया जाना चाहिए।

28. हम पहले दूसरे आरोपी रूपिंदर सिंह संधू के मामले पर विचार करेंगे क्योंकि हमारी राय में, उसके मामले का फैसला आरोपी की ओर से की गई किसी भी सामान्य दलीलों की जांच किए बिना किया जा सकता है।

29. उच्च न्यायालय के पूरे फैसले में केवल दो वाक्य हैं जिनमें दूसरे अभियुक्त के नाम का उल्लेख है।उच्च न्यायालय के फैसले में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि अनुसंधान के दौरान किस समय ए–2 की पहचान दुर्भाग्यपूर्ण दिन ए–1 के साथ यात्रा करने वाले दूसरे स्वच्छ मुंडन वाले व्यक्ति के रूप में की गई थी और कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष मुकदमे के समय पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 के बयानों (घटना के 7 साल बाद दिए गए) को छोड़कर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के तुच्छ विश्लेषण के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को उलटना और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के तहत ए–2 को अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित समझा।6.

6 (ए) इस बीच, जिप्सी से आरोपी नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए।जसविंदर सिंह पीडब्लू–3 उन्हें जानते थे क्योंकि वे क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे।नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें फटकार लगानी शुरू कर दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।जसविंदर सिंह पीडब्लू–3 और अन्य लोगों ने उन्हें आपत्तिजनक

भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहा और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्णम सिंह को कॉलर से पकड़ लिया और उन्हें मारुति कार से बाहर निकाल लिया।इसके बाद उन्होंने वर्णम सिंह के व्यक्ति पर मुट्ठी से प्रहार किया।एक झटका लगा उस पर

बाएँ कान के ऊपर अस्थायी क्षेत्र।रूपिंदर सिंह संधू भी जिप्सी से बाहर आए और जसविंदर सिंह पीडब्लू–3 को घायल कर दिया।

(ख) हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वीकार किया है कि वह हंगामा सुनकर घटना स्थल पर आए थे।रूपिंदर सिंह संधू

उन्होंने अपनी उपस्थिति से इनकार किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।सबसे अच्छा।

बचाव पक्ष का गवाह नवजोत सिंह सिद्धू का सह–कर्मचारी होता, लेकिन अजीब बात है कि कोई भी यह कहने के लिए आगे नहीं आया है कि उस समय जब घटना हुई थी, नवजोत सिंह सिद्धू बैंक परिसर में थे और हंगामा सुनकर वह बाहर चले गए।

30. 2 के मामले को तय करने के उद्देश्य से, हम मानते हैं कि पीडब्लू 3 और 4 उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वर्णम सिंह के साथ थे और घटना के गवाह थे।मामले की दिलचस्प विशेषता यह है कि प्राथमिकी में केवल ए 1 के नाम का उल्लेख किया गया है और घटना में दूसरे प्रतिभागी को "क्लीन शेव्ड मैन" कहा गया है।एफ़. आई. आर. में यह उल्लेख नहीं है कि साफ़ मुंडन करने वाले व्यक्ति ने या तो हमला किया या वर्णम सिंह के शरीर पर कोई चोट पहुँचाई।इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने पीडब्लू 3 पर मुट्ठी से प्रहार किया था।रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इस तथ्य के बारे में जानकारी से पूरी तरह से रहित है कि किस समय ए–2 की पहचान उस 'क्लीन शेव्ड मैन' के रूप में की गई थी, जिसने जांच एजेंसी द्वारा ए–1 के साथ घटना में भाग लिया था।न ही अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री है जो यह दर्शाती है कि अभियोजन पक्ष किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ए–2 वह स्वच्छ मुंडन वाला व्यक्ति है।

पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 से वर्णम सिंह के शव की जांच के समय शव का पंचनामा की गई थी, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना की तारीख को दोपहर 3:30 बजे हुई थी।यहां तक कि पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के उन बयानों में भी ए–2 के नाम या पहचान योग्य विवरण का उल्लेख नहीं है।

मान लीजिए, साफ मुंडन वाले व्यक्ति की पहचान ए–2 के रूप में स्थापित करने के लिए किसी भी समय एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।ए–2 को अपराधों से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर एकमात्र

सामग्री मुकदमे में पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 का सबूत है जहां उन्होंने गवाही दी कि ए–2 वह साफ मुंडन वाला व्यक्ति है जो घटना की तारीख को ए–1 के साथ मौजूद था।पीडब्लू–3 का साक्ष्य दो मौकों पर दर्ज किया गया था, शुरू में पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न सत्र मामले में 9.7.1993 पर, जिस समय केवल ए–2 पर घटना के संबंध में विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्णम सिंह की मृत्यु हो गई थी।

उस समय पदच्युत पीडब्लू–3 निम्नानुसार हैः–

अदालत में मौजूद आरोपी रूपिंदर सिंह को मैं घटना से पहले नहीं जानता था।"

पुनः, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दोनों सत्रों के मामलों के संयुक्त मुकदमे में उनसे 16.8.1995 पर पूछताछ की गई।मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा;

उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि एक साफ मुंडन कराने वाला व्यक्ति जिसका नाम रूपिंदर सिंह संधू था, चालक की सीट पर बैठा हुआ पाया गया।द.

गवाह ने अदालत में अब मौजूद आरोपी रूपिंदर सिंह संधू की ओर इशारा किया है।

और आगे इस प्रकार हैः– "इसके बाद रूपिंदर सिंह (संधू) आरोपी बाहर आ गया।

जिप्सी और उसने मुझे मुट्ठी से चोट पहुँचाना शुरू कर दिया।

रूपिंदर सिंह (संधू) ने मेरी छाती के बाईं ओर और माथे के बाईं ओर मुट्ठी से वार किए।"

प्रतिपरीक्षा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः– "मैंने एक्स में कहा। पी. क्यू. कि उसके बाद रूपिंदर सिंह (संधू) जिप्सी से बाहर आ गया।गवाह का ध्यान एक्स की ओर खींचा गया है। पी. क्यू. में रूपिंदर सिंह (संधू) का नाम नहीं लिया गया है।साफ मुंडन कराने वाला आदमी गाड़ी से बाहर आ गया।मैंने एक्स में कहा। पीक्यू कि रूपिंदर सिंह (संधू)

मेरी छाती के बाईं ओर और बाईं ओर मुट्ठी से प्रहार किया

मेरे माथे की तरफ।गवाह का ध्यान एक्स की ओर खींचा गया है। पी. क्यू. जहाँ रूपिंदर सिंह (संधू) द्वारा 'हमला' किए गए हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है।कथन यह है कि रूपिंदर सिंह (संधू) ने उसे मुट्ठी से मारा था।

31. उपरोक्त सामग्री के हमारे विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैंः

(i) न तो पीडब्लू 3 और न ही पीडब्लू 4 अपराध की तारीख से पहले दूसरे आरोपी को जानते थे;

(ii) अपराध की तारीख को भी उन्हें उसका नाम या अन्य विवरण नहीं पता था जिससे उसकी पहचान हो सकती थी।

(iii) अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि पहले आरोपी के साथ रहने वाला व्यक्ति रूपिंदर सिंह संधू (ए –2);

(iv) ए–2 को अपराध से जोड़ने का एकमात्र सबूत मुकदमे के समय (घटना के लगभग 7 साल बाद) पीडब्लू 3 और 4 के बयान हैं कि ए–1 दुर्भाग्यपूर्ण दिन ए–1 के साथ दूसरा व्यक्ति था।

(v) पीडब्लू3 या पीडब्लू4 के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए 2 ने कभी मृतक पर हमला किया हो; और ए

(vi) यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है कि ए–2 ने मृतक पर हमला किया था।

इन पहलुओं पर ट्रायल कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया जाता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने राय दी है कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 सच्चे गवाह नहीं हैं।न ही उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलटते हुए इन पहलुओं की जांच की।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में ए–2 की पहचान या घटना में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में कोई चर्चा नहीं है।घटना के समय ए–1 के साथ ए–2 की उपस्थिति या घटना में ए–2 द्वारा निभाई गई भूमिका को साबित करने के लिए सबूत के बारे में किसी भी तरह की चर्चा के बिना, जहां तक यह वर्णम सिंह की मृत्यु से संबंधित है, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग–2 के तहत ए–2 के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने का फैसला किया। यह याद रखना चाहिए कि पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के साक्ष्य घटना के लगभग 7 साल बाद दर्ज किए गए थे।पहली बार पीडब्लू3 ने ए–1 के साथ ए–2 होने वाले दूसरे स्वच्छ मुंडन वाले व्यक्ति की पहचान अपराध No.244 में सत्र मामले के मुकदमे में 9.7.1993 पर की थी।तब तक अपराध की तारीख से लगभग 5 साल बीत चुके थे।

32. उच्च न्यायालय ने अचानक एक निष्कर्ष दर्ज किया कि ए–2 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग–2 के अपराध का दोषी है। हमारे विचार में ऐसा निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर है। भले ही हम तर्क के लिए विश्वास करते हैं (हम केवल तर्क के लिए जोर देते हैं) कि घटना के समय ए–2 ए–1 के साथ मौजूद था, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उसने वर्णम सिंह पर हमला किया था या उसने ए–1 के साथ गैर इरादतन हत्या के अपराध को करने के लिए एक सामान्य इरादा साझा किया था।

उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ए–2 भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी है, हमारी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए समान रूप से अस्थिर है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि अपराध के समय ए–1 के साथ उसकी उपस्थिति के बारे में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।पीडब्लू 3 और

4 के साक्ष्य के आधार पर ए–2 को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।इसलिए, जहाँ तक ए 2 का संबंध है, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।

33. अब हम प्रथम अभियुक्त के मामले पर विचार करेंगे।एक बार फिर यह जांच करना आवश्यक है कि क्या गुरनाम सिंह की मृत्यु ए–1 के कारण हुई है जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है।किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए

इस संबंध में ए–1 के खिलाफ, पहला, यह जानना आवश्यक है कि असल में वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण क्या है, और दूसरा, कि ए–1 के आचरण के परिणामस्वरूप वर्णम सिंह की मृत्यु हो गई।यहां तक कि अगर उपर्युक्त दोनों कारक उचित संदेह से परे साबित किए गए हैं, तो यह आगे साबित किया जाना चाहिए कि ए–1 के पास भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 या धारा 300 के तहत परिभाषित अपराध करने के लिए आवश्यक पुरुष कारण थे।

34. अब हम उपरोक्त प्रश्नों में से प्रत्येक की जांच करते हैं।

ए–1 को वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण बनाने का दोषी ठहराने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि (i) उसने अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार वर्णम सिंह पर मुट्ठी से वार किए; और (ii) मुट्ठी से वार के कारण हुई चोटों के कारण वर्णम सिंह की मृत्यु हुई।

35. इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कि ए–1 ने वर्णम सिंह पर मुट्ठी से वार किया, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने दावा किया कि वे घटना के समय वर्णम सिंह के साथ कार में यात्रा कर रहे थे और इसलिए वे घटना के गवाह थे।

सत्र न्यायालय ने पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को मुख्य रूप से दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया, पहला कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य सुसंगत नहीं थे और समय–समय पर अलग–अलग रखे गए थे और दूसरा, चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू 3 और 4 की गवाही की पुष्टि नहीं करता है।दूसरी ओर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं (पैरा 25 में), उच्च न्यायालय पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में सत्र न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत था।

36. ए–1 का निवेदन यह है कि पीडब्लू 3 और 4 गवाह हैं और रिकॉर्ड से दिखाई देने वाली परिस्थितियाँ इस तथ्य के बारे में कोई संदेह पैदा करती हैं किः

पीडब्लू 3 और 4 वास्तव में वर्णम सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे और अपराध के गवाह थे।

ए–1 के अनुसार, परिस्थितियाँ इस प्रकार हैंः

(i) पीडब्लू 3 और 4 मृतक से संबंधित थे और इसलिए वे इच्छुक गवाह हैं।

(ii) किसी भी स्वतंत्र गवाह (अर्थात मृतक से असंबद्ध गवाह) से पूछताछ करने में अभियोजन पक्ष की विफलता, हालांकि अच्छी संख्या में लोगों ने इस घटना को देखा होगा क्योंकि यह पटियाला शहर में दिन के उजाले में हुई थी।

(iii) अस्पताल 7 के अभिलेखों को प्रस्तुत न करना यह इंगित करता है कि पी. डब्ल्यू. 3 और 4 द्वारा वर्णम सिंह को अस्पताल ले जाया गया था।(iv) यह तथ्य कि पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा पी. डब्ल्यू. 3 के कहने पर दोपहर 1.45 बजे दर्ज की गई एफ़. आई. आर. उस शाम 5:30 बजे (यानी लगभग 4 घंटे के अंतराल के बाद) ही संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पहुंची, हालांकि पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट के बीच की दूरी केवल दो किलोमीटर है, इस संदेह को जन्म देती है कि एफ़. आई. आर. दर्ज करने के समय में हेरफेर किया गया है ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि घटना की तुरंत सूचना दी गई थी।इसका उद्देश्य पीडब्लू 3 और 4 को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्थापित करना है।

(v) कि अभियोजन पक्ष ने उस वाहन को जब्त नहीं किया जिसमें मृतक, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 यात्रा कर रहे थे।

37. अब हम उपरोक्त प्रस्तुतियों की स्थिरता की जांच करेंगे।38. यह तथ्य कि पीडब्लू 3 और 4 मृतक वर्णम सिंह से संबंधित हैं, विवाद में नहीं है।इस तरह के संबंध का अस्तित्व अपने आप में पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।इस न्यायालय ने बार-बार ऐसा अभिनिर्धारित किया है और यह भी अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित गवाहों द्वारा वास्तविक दोषियों को दोषमुक्त करने वाले निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की संभावना कम है।8.

7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य व्यवहार के रूप में, जब भी किसी रोगी को अस्पताल ले जाया जाता है, तो अस्पताल उन व्यक्तियों का विवरण दर्ज करता है जो रोगियों को अस्पताल लाए थे, विशेष रूप से चिकित्सा-कानूनी निहितार्थ वाले मामलों में।

8 रिज़ान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2003) 2 एस. सी. सी. 661, पैरा 6 देखें।हम सबसे पहले अभियोजन पक्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रुचि के बारे में विवाद पर विचार करेंगे।संबंध गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा।यदि गलत निहितार्थ का अनुरोध किया जाता है तो नींव रखनी होगी।ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

यह भी देखें, दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364, पैरा 26 26।एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं आता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ शत्रुता जैसे कारण नहीं हैं, कि वह उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है।आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा।यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता के लिए व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ एक गवाह को दोषी के साथ–साथ घृणा होती है, लेकिन इस तरह की आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और केवल रिश्ते का तथ्य एक नींव होने से दूर अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी होती है।

39. मान लीजिए, यह घटना पटियाला शहर के एक व्यस्त इलाके में दिन के उजाले में हुई थी।जाहिर है, इस घटना को कई अन्य लोगों ने भी देखा होगा।इसलिए, अभियुक्त का यह निवेदन है कि पीडब्लू 3 और 4 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ न करना पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है।

हमें प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।केवल यह तथ्य कि कुछ और गवाह, जिन्होंने इस घटना को देखा होगा, उनसे पूछताछ नहीं की गई, पीडब्लू 3 और 4 के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।वास्तव में, इस तरह के मामले में, किसी अन्य गवाह, जिसके बारे में माना जाता था कि वह अपराध का गवाह था, से पूछताछ करने से अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का बोझ बढ़ेगा कि ऐसा गवाह संयोग से गवाह नहीं है।40. इस दलील पर आते हुए कि घटना के तुरंत बाद राजेंद्र अस्पताल के प्रासंगिक रिकॉर्ड, जिन पर वर्णम सिंह को ले जाया गया था, यह साबित करने के लिए साबित नहीं हुए कि पीडब्लू 3 और 4 वे व्यक्ति थे जो वर्णम सिंह को अस्पताल ले गए थे, जरूरी नहीं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पीडब्लू 3 और 4 भरोसेमंद गवाह नहीं थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के रिकॉर्ड का निर्माण इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए किया गया होगा कि पीडब्लू 3 और 4 घटना के समय और उसके तुरंत बाद वर्णम सिंह के साथ थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले प्रत्येक तथ्य के लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।यदि कोई तथ्य कुछ विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है, तो आगे की पुष्टि करने वाली सामग्री पर जोर देना केवल आपराधिक कानून के प्रवर्तन को बेतुका बना देगा।

41. बचाव पक्ष का एक अन्य निवेदन यह है कि पीडब्लू 3 और 4 अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए गवाह हैं, हालांकि उन्होंने वास्तव में अपराध की घटना नहीं देखी थी।अभियुक्त इस तथ्य के बारे में संदेह व्यक्त करना चाहता है कि एफ. आई. आर. दोपहर 1.45 बजे दर्ज की गई है क्योंकि एफ. आई. आर. शाम लगभग 5:30 बजे मजिस्ट्रेट के पास पहुंची थी। मान लीजिए, संबंधित अदालत पुलिस स्टेशन से केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने के समय में हेरफेर

किया, हालांकि यह पी. डब्ल्यू. 3 और 4 की उपस्थिति प्राप्त करने के बाद बहुत बाद में दर्ज किया गया था। हमारी राय में, पीडब्लू 3 और 4 के गवाह बनाए जाने की संभावना का सुझाव देते हुए अभियुक्त द्वारा अपनाया गया तर्क असमर्थनीय है।माना जा सकता है कि घटना की तारीख शाम साढ़े चार बजे पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा वर्णम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया गया था।पीडब्लू2 ने अपने बयान में कहा कि शव की पहचान पीडब्लू 3 और 4 द्वारा की गई थी।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि शव की पहचान ए द्वारा की गई थी

पीडब्लू 3 और 4।इसलिए, यह पता चलता है कि पीडब्लू 3 और 4 शाम 4:30 बजे तक, यानी पोस्टमॉर्टम के समय, मौजूद थे।ऐसा कोई निवेदन नहीं किया जाता है कि पीडब्लू2 विश्वसनीय गवाह नहीं है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है।

पोस्टमॉर्टम से पहले पीडब्लू5 (सब–इंस्पेक्टर काका सिंह) द्वारा शव का पंचनामा की गई थी।उन्होंने कहा कि पी. डब्ल्यू. 3 की रिपोर्ट मिलने पर दोपहर लगभग 1.45 बजे प्राथमिकी दर्ज करने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, वह दोपहर 3 बजे राजेंद्र अस्पताल गए। इसके बाद, उन्होंने शव का पंचनामा रिपोर्ट तैयार की (उदा. पी. एच.) पी. डब्ल्यू. 3 और 4 की उपस्थिति में जिन्होंने जांच रिपोर्ट को सत्यापित किया।शव का पंचनामा पूरी होने के बाद, पीडब्लू5 ने शव को दो पुलिस कांस्टेबलों बहादुर सिंह और गुरपाल सिंह को सौंप दिया, जिनके पास पोस्टमॉर्टम की माँग थी। पीजी)।

जाहिर है, शव का पंचनामा करने में कुछ समय लगता है।यदि पीडब्लू5 दोपहर 3 बजे राजेंद्र अस्पताल पहुँचता है, तो शव का पंचनामा शुरू होने और पोस्टमॉर्टम शुरू होने के बीच डेढ़ घंटे के समय अंतराल को शव का पंचनामा करने और पोस्टमॉर्टम परीक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए अनुचित अवधि नहीं कहा जा सकता है।9 शव का पंचनामा रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दोनों से यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू 3 और 4 की उपस्थिति का उल्लेख किया गया था।धारा 174 सी. आर. पी. सी. के तहत, उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी प्राप्त करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उस स्थान पर आगे बढ़ना आवश्यक है जहां शव है, मृत्यु के स्पष्ट कारण की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और फिर शव को (पोस्टमॉर्टम) जांच के लिए निकटतम सिविल सर्जन को भेजना चाहिए।इसलिए, न तो अपराध दर्ज किए बिना शव का पंचनामा हो सकती थी और न ही शव का पंचनामा अधिकारी की मांग के बिना पोस्टमार्टम किया जा सकता था।पीडब्लू5 (एस. आई.) की जाँच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

उपरोक्त से, यह कम से कम दोपहर 3 बजे तक होता है। पीडब्लू 3 और 4 उपस्थित थे और उपरोक्त घटनाओं से सक्रिय रूप से जुड़े थे।यदि उन्हें चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया जाना था, तो यह रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ होगा। इसका मतलब है कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ढाई घंटे के अंतराल में, जांच अधिकारी ने गवाह होने के लिए पीडब्लू 3 और 4 की पहचान की होगी जो जांच एजेंसी के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे और अभियोजन पक्ष और संयंत्र के संस्करण का समर्थन करेंगे।

9 पीडब्लू2 ने प्रतिपरीक्षा में कहा–"पोस्टमार्टम 27.12.1988 को शाम 4:30 बजे शुरू किया गया था।मुझे कुछ मिनट पहले शाम 4:30 बजे पुलिस के कागजात मिले होंगे।

उन्हें।हमारी राय में इस तरह का एक सिद्धांत कल्पना का एक शानदार टुकड़ा होगा और यह पहले से ही मानता है कि कुछ अज्ञात कारणों से पीडब्लू–5 ने ए–1 को अपराध में फंसाने के लिए इतनी गहरी साजिश की योजना बनाने के लिए ए–1 के साथ दुश्मनी की थी।इस प्रक्रिया में, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ए–1, घटना की तारीख तक भी, किसी तरह का सेलिब्रिटी था।हमें इस तरह के संस्करण पर विश्वास करना मुश्किल होगा।सामान्य प्रवृत्ति–यदि हम सामान्य ज्ञान से छुट्टी नहीं लेते हैं–तो मशहूर हस्तियों द्वारा किए गए कानून के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेना है।

42. इस मामले का एक अन्य पहलू, जिस पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया था, वह यह है कि जिस वाहन से मृतक और पीडब्लू 3 और 4 घटना के समय यात्रा कर रहे थे, उसे जब्त न करने से घटना के समय मृतक के साथ पीडब्लू 3 और 4 की उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा होता है।हम प्रस्तुतिकरण को समझने में विफल रहते हैं।भले ही वाहन को जब्त कर लिया जाए, हमें समझ में नहीं आता कि यह इस तथ्य को साबित करने के लिए कैसे जाएगा कि पीडब्लू 3 और 4 भी उस वाहन से यात्रा कर रहे थे।

43. इसलिए, हमारी राय है कि सत्र न्यायालय गलत था और उच्च न्यायालय ने अपराध के समय पी. डब्ल्यू. 3 और 4 की उपस्थिति पर मृतक वर्णम सिंह के साथ विश्वास करने में सही (हालांकि कारण अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हैं) था।हमें यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि उपरोक्त निष्कर्ष से यह पता नहीं चलता है कि उनका पूरा सबूत निर्दोष है।

44. फिर यह जांच करना आवश्यक हो जाता है कि पीडब्लू 3 और 4 का साक्ष्य किस हद तक विश्वसनीय है। दोनों गवाहों ने सत्र अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि वे उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक के साथ वर्णम सिंह द्वारा चलाई गई मारुति कार में यात्रा कर रहे थे।उन दोनों ने कहा कि ए–1 और मृतक के बीच रास्ते के अधिकार को लेकर बहस हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पहले आरोपी ने वर्णम सिंह को मुट्ठी से मारा था। उन्होंने अपने साक्ष्य में कोई आरोप नहीं लगाया कि ए–2 ने वर्णम सिंह पर हमला किया।उनका कहना है कि जब उन्होंने वर्णम सिंह को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो दूसरे आरोपी ने पी. डब्ल्यू.–3 पर मुट्ठी से वार करके हमला कर दिया।

हालाँकि, यह पीडब्लू 3 और 4 का प्रमाण है कि ए–1 ने वर्णम सिंह पर मुट्ठी से वार किए, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से केवल दो बाहरी चोटों का संकेत मिलता है–एक अस्थायी क्षेत्र में और दूसरी मृतक के बाएं घुटने पर–दोनों घर्षण हैं।पीडब्लू–2 के अनुसार दूसरी चोट, यानी घुटने पर घर्षण, गिरने का परिणाम हो सकती है।पीडब्लू 3 और 4 के वर्णन के बावजूद कि ए–1 ने मुट्ठी से प्रहार (कई प्रहार) किए, यह सबसे अधिक संभावना नहीं है कि एक व्यक्ति ए करेगा।

एक साथ मुट्ठी मारते हुए पीड़ित के सिर और घुटनों पर भी निशाना लगाएं।बेशक, यह संभव है कि ए–1 ने एक से अधिक मुट्ठी प्रहार किए लेकिन उनमें से केवल एक ही वर्णम सिंह के सिर पर गिरा और अन्य लक्ष्य से चूक गए।यह हमें इस स्थिति के साथ छोड़ देता है कि ए–1 ने मृतक के सिर पर एक चोट लगाई और हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मृतक के घुटने पर दूसरी चोट किसी भी सड़क पर गिरने के कारण हुई थी।अभियोजन पक्ष का यह सुझाव नहीं है कि वर्णम सिंह की मृत्यु घुटने की चोट से हुई थी।

45. वर्णम सिंह के सिर पर चोट, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पिन्ना के ऊपरी भाग के संगम पर बाएं लौकिक क्षेत्र के ऊपर 0.75 सेमी x 0.5 सेमी मापने वाला एक घर्षण है।वर्णम सिंह के बाएं लौकिक क्षेत्र में एक संबंधित सबड्यूरल रक्तस्राव मौजूद है।लेकिन सवाल यह है कि क्या उस एकल चोट के कारण ही वर्णम सिंह की मृत्यु हुई थी।

46. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीडब्लू–2 ने वर्णम सिंह की मौत के कारण के बारे में कोई राय नहीं दी।दूसरी ओर, उन्होंने इस प्रकार दर्ज कियाः

उन्होंने कहा, "इस मामले में मौत का कारण पैथोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला से रिपोर्ट मिलने के बाद बताया जाएगा।दोनों चोटें पूर्व–शव परीक्षण की प्रकृति की हैं और धारदार हथियार के कारण होती हैं।"

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू2 की राय थी कि चोटें पूर्व–शव परीक्षण प्रकृति की थीं और एक कुंद हथियार के कारण हुई थीं।

47. पैथोलॉजिस्ट ने 9.1.89 (Ex.PJ) दिनांकित एक रिपोर्ट दी।उन्होंने वर्णम सिंह के हृदय की स्थिति में बड़ी संख्या में असामान्यताओं को देखा।

उन्होंने कहा, "हृदय का वजन 430 ग्राम और माप 12x8x6 सेमी है।एपिकार्डियल वसा में वृद्धि हुई, विशेष रूप से दाहिने निलय पर।बाईं कोरोनरी धमनी की दोनों शाखाओं यानी पूर्ववर्ती अवरोही शाखा और सर्कमफ्लेक्स ब्र एंकर और दाहिनी कोरोनरी धमनी में लुमेन के कैल्सीफिकेशन और संकुचन के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाई दिया।बाएँ निलय दीवार की अधिकतम मोटाई को बढ़ाकर 1.8 सेमी कर दिया गया। मायोकार्डियम ने स्ट्रोमल वसा की घुसपैठ, विशेष रूप से दाहिने निलय और बाएं निलय की दीवार में फाइब्रोसिस के कई फोकस क्षेत्रों को दिखाया।कस्प्स और कान के कक्षों में कोई पैथोलॉजी नहीं दिखाई दी। मायोकार्डियल रोधगलन का कोई प्रमाण नहीं देखा गया।महाधमनी की जड़ ने कैल्सीफिकेशन के केंद्र क्षेत्रों के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाया।"

जहाँ तक मस्तिष्क का संबंध है, पैथोलॉजी रिपोर्ट इस प्रकार हैः

"पिया मीटर से ढके मस्तिष्क के चार टुकड़ों का वजन 550 ग्राम था और माप 11x11x5 सेमी था।सकल या सूक्ष्म जांच में कोई विकृति नहीं देखी गई।"

यह ध्यान देने योग्य है कि रोगविज्ञानी ने सकल या सूक्ष्म परीक्षण पर किसी भी रोगविज्ञान को नहीं देखा। पैथोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पीडब्लू–2 ने राय दी कि फोरेंसिक विशेषज्ञ की आगे की राय प्राप्त करना आवश्यक है।इसलिए उन्होंने सिविल सर्जन, पटियाला को 11.1.89 पर पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मामले को फोरेंसिक विशेषज्ञ, सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला को भेजा जाए।

48. आई. डी. 2 को सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला के प्राचार्य ने उपरोक्त पत्र दिनांक आई. डी. 1 पर कार्रवाई करते हुए एक बोर्ड का गठन किया जिसमें 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो की मामले की सुनवाई में पी. डब्ल्यू. 1 और 2 के रूप में जांच की गई थी।पीडब्लू–1 को उक्त चिकित्सा बोर्ड के संयोजक के रूप में नामित किया गया था।पीडब्लू–1 ने 17.1.89 पर एक बहुत ही गुप्त राय (Ex.PA) दी, जो इस प्रकार हैः

"इस मामले में मृत्यु सिर की चोट और हृदय की स्थिति के प्रभाव के कारण होती है।हालाँकि, सिर की चोट अपने आप में प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है।49. राय में स्पष्टता की कमी को देखते हुए, अभियोजन पक्ष ने बार–बार राय का स्पष्टीकरण मांगा।दो अवसरों पर, यानी 31.1.89 और 3.2.89 पर, पीडब्लू–1 ने कोई और स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया और निम्नानुसार सूचित कियाः

"इस संदर्भ में, यह आपकी दयालु जानकारी के लिए है कि पहले व्यक्त की गई राय ऐसी है।"

पीठ ने कहा, "यह आपकी जानकारी के लिए है कि मामले के बारे में तथ्य पहले ही बताए जा चुके हैं और बार–बार पूछे जाने की आवश्यकता नहीं है।यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।"

50. सत्र न्यायालय ने पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य और जांच अधिकारी और डॉक्टरों के बीच पैरा 33 से 36 तक उपरोक्त पत्राचार का विश्लेषण किया और दर्ज कियाः–

". कि बाएँ अस्थायी क्षेत्र पर बहुत मामूली घर्षण था, खोपड़ी का कोई फ्रैक्चर नहीं था, डॉ. जतिंदर कुमार सदन (पीडब्लू–2) द्वारा देखे गए उप–ड्यूरल रक्तस्राव को मापा नहीं गया था क्योंकि पोस्टमॉर्टम ए में इसकी मात्रा और आकार का संकेत नहीं दिया गया था।

रिपोर्ट करें।जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि सब–ड्यूरल रक्तस्राव सभी मामलों में घातक नहीं है।

XXX

XXX

XXX

कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. गुरप्रीत सिंह 10 का मानना था कि पैथोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई कार्डियक स्थिति के परिणामस्वरूप तनाव में अचानक कार्डियक मृत्यु भी हो सकती है।इसका मतलब यह है कि न्यूरोजेनिक या वासोवैगल सदमे के कारण बिना किसी बाहरी चोट के वर्णम सिंह की अचानक मृत्यु हो सकती थी और पोस्टमॉर्टम जांच से इस तथ्य का पता नहीं चलता।पैथोलॉजिस्ट द्वारा रोगी के दिल की जांच करने और उसमें विभिन्न चिकित्सा दोषों की सूचना देने के बाद ही कार्डियोलॉजिस्ट ने यह राय बनाई कि यह अचानक कार्डियक मृत्यु का मामला था।

XXX

XXX

XXX

किसी भी मामले में, बोर्ड ने यह नहीं कहा है कि मृत्यु सिर की चोट का परिणाम थी या मृत्यु हृदय की स्थिति का परिणाम थी या मृत्यु हृदय की स्थिति के साथ सिर की चोट का परिणाम थी या मृत्यु सिर की चोट का परिणाम थी जिसके कारण हृदय की स्थिति हुई।"

और अंत में आयोजितः"चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष यह है कि मृतक की मृत्यु तनाव में अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, वह गिर गया और उसे दो खरोंच आए, जिसमें विचाराधीन सबड्यूरल रक्तस्राव भी शामिल है।यह निष्कर्ष पैथोलॉजिस्ट और डॉ. कृष्ण विज और डॉ. जतिंदर कुमार सदाना द्वारा व्यक्त चिकित्सा राय के साथ काफी सुसंगत है।"

51. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया, जो इस प्रकार हैः

"।डॉ. कृष्ण विज पीडब्लू–1 और डॉ. जतिंदर कुमार सदन पीडब्लू–2 जैसे किसी भी डॉक्टर ने अपनी गवाही में यह नहीं कहा है कि वर्णम सिंह की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई थी।उन्होंने केवल इतना कहा है कि पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को देखने से, वर्णम सिंह के हृदय की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी।हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि खोपड़ी के खुलने पर, बाएं पार्श्विक क्षेत्र में सबड्यूरल रक्तस्राव मौजूद था।

10 वे मेडिकल बोर्ड ए के सदस्यों में से एक थे।

और मस्तिष्क जैसा कि डॉ जतिंदर कुमार सदन पीडब्लू–2 द्वारा लिखा गया है।वास्तव में इसी रक्तस्राव के कारण ही वर्णम सिंह की मृत्यु हुई, न कि हृदय गति रुकने से।"

52. अभियुक्त द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और एक शुद्ध अनुमान है।53. हम पहले ही देख चुके हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू2 ने वर्णम सिंह की मौत के कारण की पहचान नहीं की है।उन्होंने केवल मेडिकल बोर्ड की राय पुलिस को भेजी। 11 अभि.सा. डब्ल्यू.–1, जो बोर्ड का नेतृत्व कर रहे थे, ने केवल प्रदर्शनी अभि.सा. ए. में दिए गए बयान को दोहराया।अभिलेख के अवलोकन और आयोजित चर्चाओं के बाद, राय दी गई जो एक्स है। पीए। पूर्व के अनुसार। इस मामले में पी. ए. की मृत्यु का कारण सिर में चोट और हृदय गति रुकना बताया गया था। हालाँकि, सिर की चोट अपने आप में प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है।"

उपरोक्त साक्ष्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सबड्यूरल रक्तस्राव है जो वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण बना, न कि कार्डियक अरेस्ट।

54. जैसा कि अभियुक्त द्वारा सही बताया गया है, हमें इस तरह के निष्कर्ष के लिए अभिलेख पर साक्ष्य में कोई आधार नहीं मिलता है।जब एग्ज़िबिट पी. ए. कहता है कि मामले में मृत्यु "सिर की चोट और हृदय की स्थिति के प्रभावों के कारण होती है", तो यह निष्कर्ष निकालना कि मृत्यु का कारण केवल रक्तस्राव है और हृदय गति रुकना नहीं, रिकॉर्ड पर दिए गए साक्ष्य के विपरीत है।दूसरी ओर यह याद रखना चाहिए कि रोगविज्ञानी ने बताया कि उन्होंने "सकल या सूक्ष्म परीक्षा" पर मस्तिष्क पर कोई विकृति नहीं देखी। पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले पीडब्लू–2 ने रक्तस्राव का कोई विवरण नहीं दिया, सिवाय इसके कि पार्श्विक क्षेत्र में सबड्यूरल रक्तस्राव मौजूद था।उन्होंने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उन्होंने रक्तस्राव के परिमाण या आकार का उल्लेख नहीं किया था।12.

11 अभि.सा. 2 का निक्षेपण:पैथोलॉजिस्ट एक्स की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। पी. जे. मामले को सिविल सर्जन, पटियाला के माध्यम से विशेषज्ञ की राय के लिए मेडिकल कॉलेज, पटियाला के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख को भेजा गया था।इसके बाद मेडिकल कॉलेज, पटियाला के प्राचार्य द्वारा बोर्ड का गठन किया गया और मृत्यु का कारण बताया गया।यह मूल रूप से एस. एच. ओ., पी. एस. कोटवाली को 17.1.1989 पर भेजा गया था।यह पूर्व है। पी. के. जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

जी.

12 अभि.सा. 2 का निक्षेपणःहालाँकि मैंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बाएं अस्थायी क्षेत्र में सबड्यूरल रक्तस्राव हुआ था, लेकिन मैंने इसकी परिमाण या आकार का उल्लेख नहीं किया है, चाहे वह 1 सेमी हो या 10 सेमी।

55. पीडब्लू–1 फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पर एक पाठ्यपुस्तक के लेखक भी हैं।अपनी पुस्तक के छठे संस्करण में उन्होंने इस प्रकार कहा हैः"ज्यादातर मौकों पर, रक्तस्राव हल्का होता है लेकिन कुछ घंटों के भीतर एक बड़े सबड्यूरल रक्तस्राव द्वारा मस्तिष्क का घातक संपीड़न हो सकता है।यह सुझाव दिया गया है कि लगभग 100–150 मिली आमतौर पर मौतों से जुड़ा न्यूनतम होता है।मृत्यु अक्सर कुछ सहवर्ती मस्तिष्क की चोट से जुड़ी होती है।यदि मस्तिष्क को कोई प्राथमिक क्षति नहीं होती है, तो सबड्यूरल रक्तस्राव से होने वाली मृत्यु दर आमतौर पर पीड़ित की उम्र, तंत्रिका संबंधी स्थिति और आघात के समय से हीमेटोमा की शल्य चिकित्सा निकासी में देरी से संबंधित होती है।"13

उपरोक्त कथन से यह देखा जा सकता है–(i) सबड्यूरल रक्तस्राव अपने आप में मृत्यु का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह एक बड़े सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण मस्तिष्क का संपीड़न है जो मृत्यु का कारण बनता है; और (ii) लगभग 100–150 मिली रक्तस्राव आमतौर पर मृत्यु से जुड़ा न्यूनतम होता है।

56. हम उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में तत्काल मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आकलन करेंगे।(एक्स. पी. ए.) में दिए गए बयान और पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य कि सिर की चोट ही प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है, केवल एक दृष्टांत है।सबड्यूरल रक्तस्राव की मात्रा के बारे में न तो कोई विशिष्ट विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, न ही कोई चिकित्सा राय है कि सबड्यूरल रक्तस्राव मस्तिष्क के संपीड़न का कारण बना जो वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण बना।किसी भी सहवर्ती मस्तिष्क चोट का कोई प्रमाण नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू2 के साक्ष्य इस संबंध में चुप हैं।पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मस्तिष्क में किसी भी पैथोलॉजी की अनुपस्थिति के बारे में स्पष्ट है।अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य होने के कारण, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वर्णम सिंह की मृत्यु सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण हुई है, लेकिन हृदय गति रुकने से नहीं, हमारी राय में, अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और यह एक शुद्ध अनुमान है।इसलिए, हमें पहले अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखना और उसे कायम रखना मुश्किल लगता है।क्योंकि किसी व्यक्ति को गैर–इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के लिए, मूल तथ्य यह साबित करने की आवश्यकता है कि आरोपी मौत का कारण बना।लेकिन, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्णम सिंह की मृत्यु के कारण के बारे में चिकित्सा साक्ष्य बिल्कुल अनिश्चित है।

13 फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस की पाठ्यपुस्तक, 6 वीं संस्करण, कृष्ण विज, एल्सेवियर, पीपी 267–268

57. साक्ष्य पर साबित एकमात्र तथ्य यह है कि ए–1 ने मृतक वर्णम सिंह के सिर पर एक मुट्ठी से प्रहार किया था।न तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था, न ही आरोपी और मृतक के बीच पिछली कोई दुश्मनी थी।यह सब रास्ते के अधिकार के बारे में एक विवाद के साथ शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच झगड़ा हुआ, जो इस देश में एक बहुत ही आम दृश्य है।

58. जाहिरा तौर पर, आरोपी और मृतक के बीच कुछ जुबानी जंग हुई थी।रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा बोले गए शब्द वास्तव में क्या हैं, सिवाय एक अस्पष्ट संकेत के कि दोनों द्वारा कुछ असंयमित भाषा का उपयोग किया गया था, और न ही यह स्पष्ट है कि आदान–प्रदान की शुरुआत किसने की थी।

59. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, हम वास्तविक वादी द्वारा दायर 2007 की आपराधिक अपील No.60 में की गई विभिन्न प्रस्तुतियों पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।उनका पूरा मामला अनुसंधान प्रक्रिया में खामियों और घटना के कुछ दिनों के भीतर अग्रिम जमानत हासिल करने में अभियुक्त के आचरण और ए–1 पर मुकदमा नहीं चलाने के राज्य के निर्णय पर आधारित होना चाहिए।वास्तविक वादी द्वारा जिन अन्य कारकों पर भरोसा करने की मांग की गई है, वे अनुसंधान की प्रक्रिया में कुछ कमियों से संबंधित हैं (जैसे कि उस वाहन को जब्त न करना जिससे मृतक और पीडब्लू 3 और 4 यात्रा कर रहे थे और सत्र मामले में पहले आरोपी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए राज्य की अनिच्छा) इस निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए पहले आरोपी को वर्णम सिंह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।वास्तविक वादी इस न्यायालय से यह विश्वास करने का भी आह्वान करता है कि पहले अभियुक्त की प्रसिद्ध व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए, राज्य ने उसके अपराध को बचाने के लिए अपने तरीके से काम किया।इसलिए, प्रथम अभियुक्त को ही वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण माना जाना चाहिए।60. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुसंधान में खामियां हैं।हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या ऐसी खामियां प्रणाली की सामान्य अक्षमता के कारण हुईं या अभियुक्त को बचाने के लिए किए गए ठोस प्रयास के परिणामस्वरूप हुईं।इस देश का कानून यह नहीं है कि लोगों को संदेह के आधार पर अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है।

61. हमें यहां यह भी उल्लेख करना चाहिए कि वास्तविक वादी ने 2018 की आई. ए. संख्या 50523 में प्रार्थना की कि एक सी. डी. की सामग्री को अतिरिक्त सबूत के रूप में प्राप्त किया जाए, साथ ही सी. डी. में कथित रूप से पहले आरोपी द्वारा किसी टीवी चैनल को दिए गए कुछ साक्षात्कार शामिल हैं।कहा जाता है कि उक्त सीडी में कुछ बयान हैं जो अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए वास्तविक वादी की राय में जाएंगे।

62. इस स्तर पर अभिलेख पर ऐसी सामग्री प्राप्त करने के लिए, हमारी राय में, संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या के प्रश्नों सहित कानून के कई प्रश्नों की जांच की आवश्यकता है।यह मानते हुए कि यह न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, आवश्यक रूप से इस तरह

के अभ्यास के लिए ऐसे साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने से पहले पहले अभियुक्त को अवसर देने की आवश्यकता होती है।

हमारी राय में, वह सब जो इस कारण से टाला जा सकता हैःभले ही यह माना जाए कि पहले आरोपी ने घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली है, (एक तथ्य जो हम पहले ही टीवी शो में कथित अपने स्वयं के कबूलनामे से स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाल चुके हैं) रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य के आलोक में, उसे वर्णम सिंह की मृत्यु का कारण बनने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इसलिए, हम आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।इस तरह के प्रवेश, यदि कोई हैं, तो वास्तविक वादी के मामले को सुधारने में मदद नहीं करते हैं।

63. उपरोक्त सभी चर्चाओं का शुद्ध परिणाम यह है कि प्रथम अभियुक्त को वर्णम सिंह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।इसलिए, अपील के तहत दिए गए फैसले को दरकिनार करने की आवश्यकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है।अभिलेख पर मौजूद सामग्री हमें एकमात्र संभावित निष्कर्ष पर ले जाती है कि हम इस बात तक पहुँच सकते हैं कि पहले आरोपी ने स्वेच्छा से भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 के तहत दंडनीय वर्णम सिंह को चोट पहुँचाई थी।

64. अगला सवाल यह है कि इस तरह के अपराध के लिए उचित सजा क्या होगी।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा निर्धारित करती है जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है या जुर्माने के साथ जो Rs.1000 तक बढ़ सकती है–या दोनों के साथ।मामले की परिस्थितियों में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि (i) घटना 30 वर्ष पुरानी है; (ii) अभियुक्त और मृतक के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं है; (iii) अभियुक्त द्वारा किसी हथियार का उपयोग नहीं किया गया था; और (iv) जिस पृष्ठभूमि में यह हुआ, हमारी राय है कि Rs.1000 के जुर्माने की सजा इस मामले में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

65. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हम ऊपर बताए अनुसार अभियुक्त की अपीलों को स्वीकार करते हैं और वादी की अपील को खारिज करते हैं।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।